न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः – 88/2021 प्रार्थना पत्र

GCMS No. – 2021/239

1. श्री तेज सिंह पिता श्री भंवर सिंह जी हजूरी जाति रावणा राजपूत आयु 60 वर्ष निवासी अरनोदा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

..... प्रार्थी

बनाम

1. श्री बिजल राम पिता बकशु राम जी जाति रेबारी आयु वयस्क निवासी मेवासा की ढाणी तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा राज०
3. श्रीमान उप पंजियक ,उप पंजियन कार्यालय निम्बाहेडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :–1–श्री मदनलाल चपलोत – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2–श्री अनिल पाटीदार –अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 से 03

:: निर्णय ::

दिनांक :– 20.12.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि ग्राम मेवासा प०ह० अरनोदा तह० निम्बाहेडा की खाता सं० नया 128 की आ०नं० 128 रकबा 0.3800 हेक्टेयर लगानी 1.90 रूपये कुल किता 1 कुल रकबा 0.3800 हेक्टेयर कुल लगानी 1.90 रूपये स्थित वाके है। साक्ष्य में नकल जमाबन्दी पेश है।

2. उक्त आराजीयात पर प्रार्थी का व उससे पहले प्रार्थी के पिता व दादा का लग भग 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है, तथा उक्त आराजी को काबिले काश्त करने में प्रार्थी व उसके बाप दादा के लाखो रूपये लग चुके है, तथा उक्त आराजी पर प्रार्थी के दादा जी मोड सिंह जी के समय का कुआ भी खुदा हुआ है, तथा प्रार्थी के दादा मोड सिंह ने उस समय के पटवारी साहब रामलाल को उक्त आराजी खातेदारी में दर्ज कराने हेतु कहा तथा उस समय पटवारी साहब ने फिस जमा कर कुछ फार्मो पर मेरे दादा श्री मोड सिंह जी के हस्ताक्षर भी उक्त आराजी को खातेदारी में दर्ज कराने हेतु लिये थे, मेरे दादा व मेरे पिता वर्षो से यही बात समझते रहे कि आराजी हमारी खातेदारी में आ गई है, लेकिन रामलाल जी पटवारी साहब ने धोखा व चिटींग करते हुऐ उक्त आराजी को स्वयं के नाम खातेदारी में दर्ज करा ली, तथा रामलाल जी पटवारी की मृत्यु के बाद उनके पुत्रो ने मात्र अपने पिता का नाम खातेदारी में दर्ज होने से विकय पत्र के माध्यम से विपक्षी बिजलराम को उक्त आराजी विक्रय कर दी, जब कि उक्त आराजी पर कब्जा 50 वर्षो से भी अधिक समय से प्रार्थी के दादा व उनके बाद प्रार्थी के पिता एवं प्रार्थी का चला आ रहा है। उक्त आराजी पर कभी भी रामलाल जी पटवारी या उनके पुत्रो व प्रतिवादी बिजलराम का कभी कब्जा रहा ही नही है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:49:10 IST
Reason: SelfAttested

3. विपक्षी बिजलराम दिनांक 29.06.2021 को मुझ प्रार्थी की आराजी पर आया और कहने लगा कि मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर के रहुगां, मुझ वादी द्वारा बिजलराम से कहा कि यह जमीन वर्षो से हमारी है मेरे बाप दादा के समय से उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूं तो बिजलराम कहने लगा कि मैने यह जमीन खरीद कर अपने नाम करा ली है और अब मैं इस पर कब्जा कर रके रहुगां, और गाली गलोच करते हुऐ लडाई झगडा कर मुझे मेरी कब्जे की आराजी से बेदखल करने का असफल प्रयास किया, इस पर मुझ प्रार्थी की जमीन का पर्चा मोका रिर्पोट दिनांक 13.07.2021 पटवारी साहब प०ह० अरनोदा से हमारे प्रार्थना पत्र पर श्रीमान द्वारा मांगवाया गया उक्त रिर्पोट में भी मोके पर कब्जा मुझ प्रार्थी का ही बताया गया है। प्रार्थी उक्त आराजी पर कदीम से काबिज होने से व विपक्षी द्वारा जबरन बेदखल करने का असफल प्रयास करने व आराजी को रहन विकय बक्षीश आदि के मध्यम से हस्तांतरण करने की धमकी देने से विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।यह कि प्रार्थी का प्राईमाफेसी केस होकर सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होकर प्रार्थी विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

4. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 से 3 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल पाटीदार ने अधिकार पत्र मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

- उक्त वर्णित आराजी नम्बर व रकबा सही अंकित किया हैं लेकिन खातेदार का नाम छुपाया गया हैं, जो कि आराजी नं0 128 देखने जमाबंदी से मुझ विपक्षी नं0 1 बिजलराम के नाम दर्ज रेकार्ड चली आ रही हैं व मौके पर विपक्षी नं० 1 की फसल खडी हैं। सबुत मे खडी फसल के फोटोग्राफ्स एवं विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश हैं। उक्त कलम मे वर्णित तथ्य अस्वीकार हैं, प्रार्थी का वादग्रस्त आराजीयात पर कभी कोई कब्जा नही था, न है, प्रार्थी द्वारा अपने दादा का नाम मोडसिंह बताया वह भी मनगढंत असत्यहोकर मोड़ सिंह की जमीन हड़पने की नियत से अंकित कराया गया है जबकि प्रार्थी मुलतः अन्यत्र गांव के निवासी होकर वहां विरासत से जमीन प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है असल सकुनत को छुपाया गया हैं मोडसिंहजी की कब मृत्यु हुई कब जमीन अपने नाम कराने की कार्यवाही की ऐसा कुछ नहीं बताया गया मात्र चालाकी से बिना ठोस सबुत के असत्य तथ्य दर्शाये गये जो अस्वीकार हैं।

- पूर्व मे पूर्व खातेदारान का कब्जा था व खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन को विपक्षी नं० 1 बिजलराम द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र से क्रय की व वक्त कय दिनांक 05/11/2020 से विपक्षी नं० 1 के कब्जे काश्त मे चली आ रही हैं। प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से खारीज नही कराया गया और ना ही पूर्व में पूर्वखातेदार के विरुद्ध कोई वाद पेश किया है. जब तक रजिसटर्ड विकय पत्र अस्तित्व मे है एवं रेकार्डेड खातेदार होने से विपक्षी नं० 1 बिजलराम खातेदार के विरुद्ध प्रार्थीगण किसी तरह से पाबंद कराने का कोई अधिकारी नही हैं।

सहायक कलेक्टर
निम्बाहेड़ा

- उक्त कलम मे दिनांक 29/06/2021 बाबत दर्शाये गये तथ्य सम्पूर्ण तथ्य अस्वीकार है जबकि विपक्षी नं० 1 द्वारा दिनांक 05/11/2020 को उक्त जमीन रजिस्टेंड विकय पत्र से कय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था जिसकी जानकारी प्राथर्थी को हैं, एक षडयंत्र के तहत सोची समझी चाल के तहत झुठी घटना [illegible] 29/06/2021 दर्शाना व पर्चा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 13 [illegible] का बनाया जाकर प्रेस करना जबकि वाद व प्रार्थना पत्र दिनांक [illegible] को पेश करना व दिनांक 20/07/2021 को यथास्थिति का आदेश हुआ जो एक रेकार्डेड खातेदार के विरुद्ध बिना उसे सुचना दिये बिना सुने पटवारी हल्का [illegible] मिली भगत कर झुठीरिपोर्ट बनाई गई, जो एक तरफा होने से प्रारंभतः निरस्त होने योग्य है व वक्त पर्चा मौका रिपोर्ट रेकार्ड खातेदार को सुचना नही देना या पर्चा मौका पर हस्ताक्षर नही कराना, या मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Panchal
Date: 2025.01.29 14:49:10 IST
Reason: SelfAttested

पर मोबी मेम्बर, या आराजीयात के पडोसियो को नही बुलाना व बिना उनके हस्ताक्षर के पटवारी द्वारा उनकी मन मर्जी से खिलाफ कानूनी पर्चा मौका मिली भगत कर बनाने का सन्देह पैदा करता हैं और वह पर्चा मौका वाद व प्रार्थना पत्र पेश करने के पूर्व ही बिना रेकार्डेड खातेदार को सुचना दिये बनाना एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत हैं। जिसका उक्त प्रार्थना पत्र में कोई कानून मान्यता नही हैं।

- काननुन नियमानुसार दोनो पक्षो की उपस्थिति में पटवारी हल्का अरनोदा से अन्य उच्च अधिकारी रेवेन्युइंस्पेक्टर या नायाब तहसीलदार या तहसीलदार साहब से रिपोर्ट मंगाई जाना न्यायहित मे आवश्यक होगा प्रार्थीगण विपक्षी नं० 1 को किसी भी कानून के तहत पाबंद कराने के अधिकारी नही हैं, एक खातेदार के खिलाफ व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अस्तित्व मे रहते प्रार्थी का न तो प्राईमा केस साबित है और ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है जबकि खातेदार व कब्जे काश्त की आराजीयता बाबत विपक्षी नं० 1 के पक्ष मे सुविधा का संतुलन होने से अपूर्णिय क्षति भी विपक्षी नं० 1 को होगी प्रार्थी को कोई अपूर्तिय क्षती नही होगी।

8. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीके अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया तथा विपक्षी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीका प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया ।

उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>– हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीके पिता व पति ने कब्जा प्राप्त करना बताया है परन्तु अपने प्रकरण को साबित कराने बावत प्रार्थीद्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया गया है जबकि विपक्षी क्रमांक 1 वादग्रस्त भूमि का रेकार्डेड खातेदार है और विपक्षीगण का ही कब्जा होना सावित है। विपक्षी क्रमांक 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी को दिनांक 05.11.2020 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया इसलिए प्रार्थीविपक्षी संख्या 1 को किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से कानून रूप से पाबन्द कराने की अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्राथी के` पक्ष में नहीं बनता है।

II. <u>अपूरणीय क्षति</u>– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थीद्वारा अपना कब्जा साबित कराना एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित कराना आवश्यक है जो प्रार्थीद्वारा साबित नहीं कराया है। प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात में विपक्षीगणों का जो हिस्सा दर्ज है उसी अनुसार उनका कब्जा चला आ रहा है। अपूरणीय क्षति विपक्षीगण के पक्ष में होने से प्रार्थी को विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में कोई अपूरणीय क्षति नहीं होना साबित होता है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:49:10 IST
Reason: SelfAttested

III. <u>सुविधा का संतुलन</u> :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्राथी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्राथी के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्राथी के पक्ष में नहीं बनता है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्राथी के पक्ष में साबित नहीं होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी क्रमांक 1 की खातेदारी व कब्जे की है । प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्राथी के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.07.2021 को खारिज किया जाना उचित हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राथी के I प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

–:आदेशः–

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीके पक्ष में साबित हो रहे है प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:49:10 IST
Reason: SelfAttested